न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

निगरानी/4695/98/कोलो/बीकानेर

भंवरलाल पुत्र श्री रामकरण, जाति नाई,हाल निवासी 9 डीकेडी तहसील खाजूवाला, जिला बीकानेर ———प्रार्थी

बनाम

1— बुधाराम पुत्र श्री रामसुख जाति विश्नोई निवासी झालारा तहसील डेगाना जिला नागौर

2— राजस्थान सरकार ——अप्रार्थीगण

एकल—पीठ
श्री विजय कुमार सोनी, सदस्य

उपस्थितः—
श्री भवानी सिंह, अभिभाषक प्रार्थी
श्री सुरेन्द्र सेठी ,अभिभाषक अप्रार्थी।

निर्णय

दिनांक : ५ फरवरी,2016

यह निगरानी अन्तर्गत नियम 23(2) राजस्थान उपनिवेशन (इन्द्रा गॉधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 विरुद्ध निर्णय राजस्व अपील अधिकारी,बीकानेर के निर्णय दिनांक 6.8.98 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। जिसके द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर ने उनके समक्ष जैरकार अपील संख्या 8/87 शीर्षक बुधाराम बनाम भंवरलाल को स्वीकार किया है।

2— निगरानी के संक्षिप्त तथ्यों अनुसार सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ मु. बीकानेर ने जरिये अपील संख्या 204/88 द्वारा चक नं. 9 डी.के.डी.के मुरब्बा नं. 84/64 के किला नं. 22 ता 25 कुल 3.12 बीघा भूमि नियम 14 ,निमय 1975 के तहत प्रार्थी भंवरलाल को अपने निर्णय दिनांक 9—3—88 द्वारा आवंटित की। सहायक आयुक्त छत्तरगढ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 9—3—88 के विरुद्ध अप्रार्थी बुधाराम ने अपील संख्या 8/97 शीर्षक बुधाराम बनाम भंवरलाल न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष पेश की। विद्वान अपील अधिकारी ने अपने निर्णय 6—8—98 द्वारा अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 9—3—88 निरस्त

कर दिया अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 6–8–98 के विरुद्ध वर्तमान निगरानी इस न्यायालय में पेश की गयी है।

3– दोनो पक्षों के विद्वान अभिषकगण की निगरानी पर बहस सुनी गयी।

4– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि सहायक आयुक्त छत्तरगढ मु. बीकानेर ने अपने निर्णय दिनांक 9–3–88 द्वारा विवादित आराजी का आवंटन नियम 14,नियम 1975 बतौर छोटी पट्टी आवंटन किया था । प्रार्थी द्वारा समस्त आवंटन राशि जमा करवा दी गयी तथा प्राथी को खातेदारी व सनद भी प्राप्त हो गयी। आवंटन अधिकारी के निर्णय दिनांक 9–3–88 के विरुद्ध बुधाराम ने प्रथम अपील संख्या 8/87 शीर्षक बुधाराम बनाम भंवरलाल न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत की। अपील अधिकारी ने अपील केवल इस आधार पर स्वीकार करली कि विवादित आराजी पूर्व से ही अप्रार्थी बुधाराम को आवंटित है। इसलिए प्रार्थी को किया गया आवंटन नियमों के विपरीत है। जब कि बुधाराम द्वारा अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी ,बीकानेर के समक्ष केवल मात्र आवंटन पट्टा की फोटो प्रति प्रस्तुत की गयी थी। जब कि फोटो प्रति साक्ष्य में ग्राह्य नही है। इस फोटो प्रति के आधार पर राजस्व अपील अधिकारी अपील को स्वीकार करने में सक्षम नही थे। इस प्रकार विद्वान अपील न्यायालय ने अपील को बिना किसी आधार दस्तावेज के स्वीकार करली तथा प्रार्थी का आवंटन आदेश 9–3–88 खारिज कर दिया। इसलिए निगरानी स्वीकार की जाकर राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

5– इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी उसे पूर्व से ही आवंटित है। आवंटन भूमि का पुनः आवंटन नही किया जा सकता है। आवंटन अधिकारी ने आवंटन प्रकिया की पालना नही की है। इसलिए अपील खारिज की जावे।

6– दोनो पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अध्ययन व अवलोकन किया गया।

7– इस बिन्दु पर कोई विवाद नही है कि आवंटन अधिकारी ने विवादित आराजी का आवंटन दिनांक 9–3–88 को प्रार्थी को नियम 14,नियम 1975 के तहत किया है। जिस रोज आवंटन किया गया उस रोज विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में रकबा राज थी। ऐसी भूमि का आवंटन किया जा सकता है। विद्वान अपील अधिकारी की

पत्रावली के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी बुधाराम द्वारा केवल आवंटन पट्टा की फोटो प्रति पेश की है, उसके द्वारा राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत नही किया गया है। केवल आवंटन पट्टा की फोटो प्रति से यह नही कहा जा सकता कि विवादित आराजी का आवंटन कभी भी बुधाराम को हुआ हो। क्योकि बुधाराम को आवंटन हुआ होता तो उसका आवंटन आदेश राजस्व रिकार्ड में अवश्य दर्ज होता। परन्तु यह एक जॉच का विषय है जो निगरानी के स्तर पर नही किया जा सकता है।

8— परिणामस्वरुप यह निगरानी स्वीकार की जाकर सहायक आयुक्त छत्तरगढ मु. बीकानेर का निर्णय दिनांक 9—3—88 एवं राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर का निर्णय दिनांक 6—8—98 निरस्त किये जाते है तथा प्रकरण वर्तमान आवंटन अधिकारी व उपखण्ड अधिकारी घडसाना को प्रतिप्रेषित कर आदेश दिये जाते है कि वे इस विषय की जॉच करेगे कि क्या विवादित आराजी का आवंटन बुधाराम को किया गया था तथा आवंटन दिनांक 9—3—88 को यह भूमि रकबा राज नही थी। अगर यह आवंटन दिनांक 9—3—88 को बुधाराम के नाम से पूर्व से ही था,तो प्रार्थी भंवरलाल का आवंटन शून्य समझा जावेगा और यदि बुधाराम को आवंटन दिनांक 9—3—88 को नही था तो भंवरलाल को किया गया आवंटन दिनांक 9—7—88 यथावत रहेगा।

9— दोनो पक्षकारान दिनांक 14—3—16 को इस न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति लेकर उपखण्ड अधिकारी एवं आवंटन अधिकारी घडसारान के समक्ष उपस्थित होगे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5.2.16.

(विजय कुमारसोनी)
सदस्य